

बिहार विधान परिषद

(200वां बजट सत्र)

25 मार्च, 2022

[जल संसाधन - वित्त विभाग - श्रम संसाधन - परिवहन - लघु जल संसाधन - अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण - पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण - वाणिज्य कर - पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन - मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन - योजना एवं विकास - समाज कल्याण गृह] .

कुल प्रश्न 23

गैंग को रोकने की व्यवस्था

*286 श्री रामचन्द्र पूर्वे (विधान सभा):

क्या गृह मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि खुद को फाइनेंस कम्पनी का प्रतिनिधि बता कर अपराधियों के गैंग हाइवे पर वाहनों को रोक कर लाखों की वसूली कर रहे हैं, जिसके चलते घंटों सड़क जाम हो जाता है;

(ख) क्या यह सही है कि इस संबंध में पुलिस उप महानिरीक्षक (मानवाधिकार) ने सभी एस.एस.पी. व एस.पी. को इस गैंग पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है;

(ग) क्या यह सही है कि आदेश देने के बावजूद इस गैंग के हाइवे पर सक्रिय रहने से चलते बस व अन्य छोटे वाहनों पर सफर करने में यात्रियों को भय के साथ काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस तरह के गैंग को रोकने की व्यवस्था शीघ्र कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

परिचालन बंद कबतक

*287 डा. प्रमोद कुमार (मनोनीत):

क्या गृह मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि जहानाबाद जिला में जहानाबाद शहर में नो एंट्री वाले स्थलों पर अवैध रूप से वाहनों का परिचालन किया जाता है;

(ख) क्या यह सही है कि नो एंट्री वाले जगहों पर वाहन के परिचालन से अरवल मोड़ पर बराबर सड़क की दुर्घटना घटती रहती है, जिससे जान-माल की क्षति होती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार जहानाबाद जिला में जहानाबाद शहर में नो एंट्री में वाहनों का परिचालन कब तक बंद करना चाहती है और इसकी रोकथाम के लिए क्या कदम उठाना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

दोषियों पर कार्रवाई कबतक

*288 प्रो. संजय कुमार सिंह (तिरहुत शिक्षक):

क्या परिवहन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि श्रीमती मीनाक्षी सिन्हा, निवासी कंकड़बाग, पटना के नाम से पंजीकृत वाहन संख्या- बी.आर.01 पी.ए.- 4631 एवं विन्गर वाहन संख्या- बी.आर.01- पी.सी. 4058 का स्वामित्व जिला परिवहन पदाधिकारी कार्यालय, पटना के द्वारा कुमार देवेश चन्द्र सामवेदी के नाम से स्थानांतरित कर दिया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त मामला श्रीमती मीनाक्षी सिन्हा के संज्ञान में आने के बाद उन्होंने दिनांक:- 04.02.2022 को जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना को लिखित शिकायत की है, बावजूद इसके स्वामित्व का संशोधन करने के संबंध में अबतक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार श्रीमती मीनाक्षी सिन्हा को खंड 'क' में वर्णित दोनों वाहनों का स्वामित्व प्रदान करना चाहती है और इसमें संलिप्त दोषी व्यक्तियों पर सरकार कौन-सी कार्रवाई करना चाहती है ?

मापदंड तैयार कबतक

***289 श्री नीरज कुमार (पटना स्नातक):**

क्या वित्त विभाग मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि बिहार की प्रति व्यक्ति आय 34 हजार रुपये प्रति वर्ष अन्य विकसित राज्यों से बहुत कम है;

(ख) क्या यह सही है कि कम आय रहने के बावजूद अपनी बचत का 15 प्रतिशत हिस्सा बैंकों, जमीन आदि में निवेश करते हैं;

(ग) क्या यह सही है कि बैंकों का सीडी-रेशियो रिकॉर्ड स्तर 47.71 प्रतिशत पर पहुंच गया है;

(घ) क्या यह सही है कि बिहार को पूरे देश का मात्र 0.6 प्रतिशत ही औद्योगिक ऋण मिल पाता है;

(ङ.) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बतलाएगी कि औद्योगिक ऋण हेतु बैंक के लिए मापदंड तैयार करने पर विचार करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

उड़ाही कबतक

***290 श्री सी.पी; सिन्हा उर्फ चन्देश्वर प्रसाद सिन्हा (विधान सभा):**

क्या लघु जल संसाधन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पटना जिला अंतर्गत मसौढ़ी अनुमंडल के घनरूआ प्रखंड अंतर्गत बौरही गोविन्दपुर पंचायत में ससौना, थाना नं.- 87 में एक गैरमजरूआ पर्इन है जिसकी चौड़ाई 12-14 फीट है एवं प्लॉट नं.- 529 है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त पर्इन को आसपास के प्लॉट नं.- 530, 531, 532 के कृषकों द्वारा भरकर अपनी-अपनी कृषि भूमि में मिला लिया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त पर्इन सैकड़ों एकड़ भूमि की सिंचाई का एकमात्र स्रोत है जिसे भरकर कृषि भूमि में शामिल कर लेने से सिंचाई एवं जल निकासी बाधित है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनहित में उक्त पर्इन की उड़ाही कराकर सिंचाई एवं जल निकासी की समुचित व्यवस्था कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

अतिक्रमण मुक्त कबतक

*291 श्री केदार नाथ पाण्डेय (सारण शिक्षक):

क्या जल संसाधन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि बक्सर जिला स्थित 11 नं. लख से सैकड़ों एकड़ मृत नहर की जमीन जिसकी कीमत अरबों रुपये की है का अतिक्रमण कच्चे मकान बनाकर दबंगों द्वारा कर लिया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त नहर की जमीन सरकार की किसी भी संस्था के लिए उपयोगी है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार जनहित एवं सरकार के हित में उक्त नहर की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

ऋण उपलब्ध नहीं

*292 डा. समीर कुमार सिंह (विधान सभा):

क्या वित्त विभाग मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि श्री गौतम कुमार, ग्राम- सोराडीह, थाना- चण्डी, जिला- नालंदा, जिनका Application ID- DIBH211705- 10247211 एवं मो. मकसूद आलम, ग्राम- बारादरी, पोस्ट+थाना- बिहारशरीफ, जिला- नालंदा, जिनका Application ID- DIBH21221705-9958937 है को प्रधानमंत्री सृजन रोजगार योजना ऋण 9,98,000 रुपये जिला उद्योग, नालंदा से चयन कर क्रमशः यूको बैंक, कमरुद्दीनगंज, बिहारशरीफ, नालंदा एवं इण्डियन बैंक, गढ़पर, बिहारशरीफ, नालंदा को ऋण उपलब्ध कराने हेतु भेजा गया;

(ख) क्या यह सही है कि दोनों शाखा प्रबंधकों द्वारा आवेदकों से ऋण देने के पूर्व जमीन का डीड पेपर बंधक के रूप में देने की मांग की गई है;

(ग) क्या यह सही है कि प्रधानमंत्री सृजन रोजगार योजना का ऋण देने में डीड पेपर बंधक के रूप में देने का प्रावधान नहीं है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड 'क' में वर्णित आवेदकों को प्रधानमंत्री सृजन रोजगार योजना ऋण जो जिला उद्योग नालंदा से चयन कर संबंधित बैंकों को भेजा गया है उसे आवेदक को यथाशीघ्र मुहैया कराना चाहती

है, यदि हां तो कबतक ?

मनमाना पैसा वसूली

***293 श्री देवेश कुमार (विधान सभा):**

क्या गृह मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि कितने बिहारी नागरिक यूक्रेन में अभी फंसे हुए हैं;

(ख) क्या यह सही है कि यूक्रेन में फंसे हुए प्रदेशवासियों को वापस लाने के लिए सरकार के द्वारा क्या योजना बनाई गई है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो यूक्रेन में फंसे हुए कुछ बिहारी नागरिक किसी प्रकार भारत वापसी कर रहे हैं परंतु उनसे अधिक दामों पर यात्रा के लिए मनमाना पैसा वसूला जा रहा है उनके लिए बिहार सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ?

राशि का भुगतान

***294 श्री सुनील कुमार सिंह (विधान सभा):**

क्या वित्त विभाग मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि मुंगेर जिला की श्रीमती सुषमा सिन्हा द्वारा सहारा इंडिया की मुंगेर शाखा (कोड-1627) में खाता सं. 16277405594 में 21650/- रुपये तथा 39356/- रुपये की राशि जमा की गई थी;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त खाता की परिपक्वता अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी परिपक्वता राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार श्रीमती सुषमा सिन्हा की जमा राशि का भुगतान शीघ्रातिशीघ्र सुनिश्चित करना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

क्षतिग्रस्त गाइड बांध का निर्माण

***295 श्री संजय सिंह (मनोनीत):**

क्या **जल संसाधन** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत बिहपुर प्रखंड के लत्तीपुर चौक के पास नरकटिया से नन्हकार बांध पर गाइड बांध का निर्माण हुआ है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त बांध का कालीकरण नहीं होने से रोड की स्थिति बहुत ही जर्जर हो गई है तथा बांध भी क्षतिग्रस्त हो रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार भागलपुर जिला के बिहपुर प्रखंड अंतर्गत लत्तीपुर चौक के पास नरकटिया से नन्हकार बांध के क्षतिग्रस्त गाइड बांध पर सड़क बनाते हुए कालीकरण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

ऋण की राशि

***296 श्री संजीव श्याम सिंह (शिक्षक गया):**

क्या **वित्त विभाग** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा पूर्ववर्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड तथा दिनांक 01.11.2012 से पुनर्गठित पांच कम्पनियों यथा बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लिमिटेड, नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड एवं बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड पर वित्तीय वर्ष 2019-20 तक कुल राशि 14493.31 करोड़ रुपये ऋण एवं अग्रिम के मद में बकाया है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बताएगी कि वित्तीय वर्ष 2019-20 तक उक्त कंपनियों को कुल राशि 14493.31 करोड़ रुपये में से वर्षवार कितनी-कितनी राशि ऋण एवं अग्रिम के मद में दी गई तथा दी गई राशि के विरुद्ध कितनी राशि कंपनियों से सूद सहित वापस ली गई है, यदि कंपनियों द्वारा ऋण की राशि सूद सहित अभी तक लौटायी नहीं गई है तो कबतक सूद सहित वसूलना चाहती है, यदि नहीं तो क्यों ?

मुआवजा का भुगतान

***297 श्री खालिद अनवर (विधान सभा):**

क्या **गृह मन्त्री** बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि बिहार के समस्तीपुर जिला में जदयू कार्यकर्ता खलील रिजवी की विगत दिनों निर्मम हत्या कर दी गई;

(ख) क्या यह सही है कि सरकार के द्वारा मुआवजा नहीं दिया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक मुआवजा देना चाहती है, नहीं तो क्यों ?

पुल मरम्मती

***298 श्री रण विजय कुमार सिंह (विधान सभा):**

क्या **जल संसाधन** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पटना जिलान्तर्गत फुलवारी विधान सभा में राम जानकी मंदिर पथ से न्यू इतवारपुर बादशाही नाला पर बना पुल जर्जर है जिसके कारण वहां पर स्थानीय लोगों को आवागमन में कठिनाई होती है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उक्त नाला पर बने पुल को शीघ्र कबतक मरम्मत कराना चाहती है, नहीं तो क्यों ?

नाले की सफाई

***299 डा. वीरेन्द्र नारायण यादव (स्नातक सारण):**

क्या **जल संसाधन** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि नेपाल से आने वाला नाला पूर्वी चम्पारण के घोड़ासहन प्रखंड के यदुवंशी नगर के उत्तरी छोर से मेन रोड बालापुर ग्राम तक मिट्टी / गाद से भर गया है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार कबतक नाले की सफाई करायेगी ?

आदेश निर्गत कबतक

***300 श्री संजय पासवान (विधान सभा):**

क्या **वित्त विभाग** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि वित्त विभाग के संकल्प सं.- 8043/ वि., दिनांक- 11.10.2017 के द्वारा बिहार सरकार ने अपने कर्मचारियों को अन्य भत्ता के साथ छुट्टी रियायत यात्रा (एल.टी.सी.) की स्वीकृति प्रदान की, जिसमें वर्ष 2017 के बाद चार साल का ब्लॉक वर्ष जनवरी 2018-2021 निर्धारित किया गया;

(ख) क्या यह सही है कि कोरोना काल वर्ष 2020 एवं 2021 में आवश्यक कार्य हेतु केवल स्पेशल ट्रेन का ही परिचालन होने और कई राज्यों में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश निषेध रहने से राज्य के पदाधिकारीगण एवं कर्मचारीगण एल.टी.सी. के सुविधा से दो लगातार वर्षों तक वंचित रह गए;

(ग) क्या यह सही है कि केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए जो एल.टी.सी. की यात्रा का उपभोग नहीं कर सकें, उनके लिए उस मूल्य का जिसमें जी.एस.टी 18 प्रतिशत निर्धारित है वह वस्तु खरीदने के लिए आदेश निर्गत किया;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के लिए जो कोरोना के चलते ब्लॉक वर्ष 2018-2021 में दो वर्षों तक एल.टी.सी. की यात्रा से वंचित रह गए उन्हें पूर्व के ब्लॉक वर्ष में यात्रा या जो कर्मि उस मूल्य की वस्तु खरीदना चाहते हैं, उसे केंद्र सरकार की भांति उसका भुगतान करने का आदेश निर्गत करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

छात्रवृत्ति का भुगतान कबतक

*301 प्रो. (डा.) रामबली सिंह (विधान सभा):

क्या अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि गया जिलान्तर्गत संचालित राजकीय अम्बेडकर आवासीय विद्यालय के बहुत से छात्र-छात्राओं को वित्तीय वर्ष 2021-2022 की छात्रवृत्ति की राशि उपलब्ध नहीं कराई गई है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय के संबंधित छात्र-छात्राओं को DBT के माध्यम से खाते में छात्रवृत्ति की राशि उपलब्ध कराई जाती है;

(ग) क्या यह सही है कि वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है परंतु रा.अ.आ.वि., मनफर में 143 बच्चे, रा.अ.आ.वि., मटिहानी में 96 बच्चे, रा.अ.आ.वि., मोहनपुर में 78 बच्चे एवं रा.अ.आ.वि., शेरघाटी में 76 बच्चे को छात्रवृत्ति की राशि उपलब्ध नहीं कराई गई है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं संबंधित पदाधिकारी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

आंगनबाड़ी केंद्र भवन नहीं

***302 श्री रामईशबर महतो (विधान सभा):**

क्या समाज कल्याण मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि रोहतास जिला अंतर्गत दावथ प्रखंड की सहिनाव पंचायत में राजवनधा वार्ड- 09 में आंगनबाड़ी केंद्र (केंद्र सं.- 113) का भवन नहीं है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त आंगनबाड़ी केंद्र का भवन नहीं होने से बच्चों को काफी परेशानी होती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त आंगनबाड़ी केंद्र का भवन निर्माण कराने का इरादा रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

बारामदगी कबतक

***303 श्री रामचन्द्र पूर्वे (विधान सभा):**

क्या गृह मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि सासाराम जिला अंतर्गत डेहरी शहर के एनीकट में स्थित प्राचीन धूपघड़ी की सूई को फरवरी के प्रथम सप्ताह में चोरों ने चुरा लिया है;

(ख) क्या यह सही है कि सन 1871 में अंग्रेजों के द्वारा लगाई गई इस धूपघड़ी से सूर्य और चन्द्रमा के रौशनी में सही समय का पता लग जाता था;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो उक्त सूई को बरामद कराने के लिए सरकार ने अबतक कौन-सी पहल की है ?

आरोपित व्यक्तियों की गिरफ्तारी

***304 डा. प्रमोद कुमार (मनोनीत):**

क्या गृह मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि जहानाबाद जिला के मनोज कुमार, पिता- राजेन्द्र प्रसाद, थाना- मखदुमपुर, ग्राम-देवकुली मठ के निवासी हैं;

(ख) क्या यह सही है कि दिनांक 31.10.2021 को समय संध्या पांच बजे जब मनोज कुमार अपने भाई के साथ खेत में काम कर रहे थे तभी गांव के चार दबंग व्यक्ति आये और इन लोगों ने उन्हें बुरी तरह लाठी से मारा-पीटा एवं पिस्टल भी कनपट्टी पर भिड़ा दिए, इस संबंध में टेहटा ओपी, जहानाबाद में 01.11.2021 को श्री मनोज कुमार द्वारा केस दर्ज कराया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो आरोपित व्यक्तियों की अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई है एवं श्री मनोज कुमार की सुरक्षा के लिए सरकार क्या करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

रेल जिला बनाने पर विचार

*305 प्रो. संजय कुमार सिंह (तिरहुत शिक्षक):

क्या गृह मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि क्यूल से रेलवे का विस्तार बाईपास के रूप में महेशलेट-धनारी एवं मनकट्टा-करौटा-पचौता-पतनेर निर्माणधीन रेलवे बाईपास का कार्य पूर्ण होने के पश्चात यह अधिक व्यस्त यातायात का क्षेत्र होगा;

(ख) क्या यह सही है कि क्यूल रेल डीएसपी के सृजित पद को क्यूल रेलवे एस.पी के रूप में करने से रेलवे की सुरक्षा में अधिक बढ़ोतरी होगी;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार क्यूल को रेल जिला बनाने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक ?

प्रलय चैन का पक्कीकरण

*306 श्री सी.पी; सिन्हा उर्फ चन्देश्वर प्रसाद सिन्हा (विधान सभा):

क्या जल संसाधन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि अरवल जिलान्तर्गत प्रखंड- अरवल के मुख्य सोन नहर

बलिदाद प्रलय चैन पूर्वी का पक्का निर्माण नहीं किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि इस प्रलय चैन का निर्माण कराने का विचार रखती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त बलिदाद सोन नहर के पूर्वी प्रलय चैन का पक्कीकरण करवाना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

दोगुना मजदूरी

***307 श्री केदार नाथ पाण्डेय (सारण शिक्षक):**

क्या पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राजधानी पटना की प्रतिष्ठित राजधानी वाटिका, इको पार्क तथा पार्क प्रमंडल पटना में कितने दैनिक वेतन भोगी वन श्रमिकों की पी.एफ. कटौती होती है तथा कितनों की कटौती नहीं होती है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त कर्मियों का डेटा विभाग के पास है, उक्त कर्मियों का नाम एवं पता सहित उपलब्ध कराने एवं श्रम संसाधन विभाग की अधिसूचना के आलोक में पार्क प्रमंडल, पटना के विभिन्न पार्कों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी, वन श्रमिकों में कितनों का A/C के माध्यम से या MIR पर भुगतान होता है;

(ग) क्या यह सही है कि पार्क प्रमंडल, पटना में राष्ट्रीय अवकाश 1 मई को अवकाश के बदले कार्य लेने के लिए उनको आधिकारिक श्रमिक (दोगुना मजदूरी) भुगतान होता है अथवा वर्ष 2022 की 26 जनवरी, 2021 की 26 जनवरी एवं 15 अगस्त का भुगतान किया जाता है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त सभी कर्मियों का डेटा सहित पार्क प्रमंडल, पटना एवं वन प्रमंडल, पटना के कर्मियों को उपर्युक्त वर्णित लाभ प्रदान करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक ?

दैनिक भत्ता का भुगतान

***308 डा. समीर कुमार सिंह (विधान सभा):**

क्या गृह मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि बिहार पुलिस सेवा के आरक्षी जो मा. सदस्यों, विधायकों

के साथ अंगरक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त हैं, उन्हें पटना जिले में 375 रु एवं अन्य जिलों में 275 रु टी.ए. (दैनिक भत्ता) मिलता है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त आरक्षियों को मात्र छः माह ही दैनिक भत्ता दिया जाता है उसके बाद भत्ता बंद कर दिया जाता है, जो न्यायोचित है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मा. पार्षदों / विधायकों के अंगरक्षकों को दैनिक भत्ता सुचारु रूप से देने का विचार रखती है ?
